

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर प्रार्थना पत्र/70/2014

तारीख रजु 13.08.2014

उनवान

वीरेन्द्र कुमार पुत्र सूरजमल जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी ग्राम लहचौडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

————सायलान(06)

बनाम

रामनारायण पुत्र रामफल जाति ब्राह्मण वगैरह निवासी लहचौडा तहसील हिण्डौन जिला करौली।

————गैरसायलान(06)

उपस्थिति:-

सायलान की ओर से :-श्री राधेश्याम शर्मा एडवाकेट।

गैरसायलान की ओर से :- श्री सुरेश चंद शर्मा एडवाकेट।


निर्णय

दिनांक 28.02.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायलान की ओर वकालतन एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ग्राम लहचौडा तहसील हिण्डौन के खसरा नम्बर 245, 246, 264, 265, 283, 284, 322, 1941/1986, 440, 442, 441, 447, 435, 139/1 के संबंध में पेश किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिए नोटिस तलब किया। बार-बार आवाज के उपरांत भी वकील सायलान तथा सायलान पक्ष अनुपस्थित रहा प्रकरण में सायलान के अनुपस्थित रहने के कारण प्रार्थना पत्र अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र मुकदमा नंबर 70/2014 वीरेन्द्र बनाम रामनारायण अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

  
(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन

